छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर – 492002

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27.10.2024

क्रमांक : एफ 6–34/2024/17–1 :: दिनांक 22.10.2024 को जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में हुई मोतियाबिन्द सर्जरी के दौरान मरीजों के आंखों में संक्रमण की घटित घटना के संबंध में जांच दल गठित कर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में मोतियाबिन्द सर्जरी हेतु निर्धारित प्रोटोकाल का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया। इस हेतु प्रथम दृष्टया डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा द्वारा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना पाया गया तथा उनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरित होने के फलस्वरूप परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन, जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

2/ निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन का मुख्यालय – कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा निर्धारित किया जाता है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

3/ निलंबन अवधि में डॉ. गीता नेताम, नेत्र सर्जन को मूलभूत नियम–53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मुकेश चौहान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक : एफ 6–34/2024/17–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27.10.2024
प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. विशेष सहायक, मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।

क्रमशः ......